न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 975/2022

अनवान :. –

1. सज्जन कुमार गोदारा पुत्र गंगाधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. गंगाधर पुत्र गणपत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सरोज पुत्री गंगाधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. राधा देवी पुत्री गंगाधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. समेष्ता पुत्री गंगाधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. शकुन्तला देवी पुत्री गंगाधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89, राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक:** 17/12/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 8/10 के कुल खसरे 24 का कुल क्षेत्रफल 6.0720है0 भूमि व खाता स0 50/49 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है भूमि में से 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 121/121 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 8.0960है0 भूमि में से 3383/40480 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 1 जो कि वादी का पिता है अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पुत्र यानि की वादी के पक्ष में त्याग कर चुका है। प्रतिवादीया स0 2 ता 5 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई के पक्ष में त्याग कर चुकी है। उक्त वाद भूमि में अब केवल वादी का हिस्सा है जिसे वादी अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वह वादी के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तो प्रतिवादी स0 1 कुछ दिन तो आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

.वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण का कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 6 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त .वाद भूमि वादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 1 जो कि वादी का पिता है अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पुत्र यानि की वादी के पक्ष में त्याग कर चुका है। प्रतिवादीया स0 2 ता 5 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई के पक्ष में त्याग कर चुकी है तथा वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने कि रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 8/10 के कुल खसरे 24 का कुल क्षेत्रफल 6.0720है0 भूमि व खाता स0 50/49 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है भूमि में से 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 121/121 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 8.0960है0 भूमि में से 3383/40480 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वार्ड पंच ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 जो की वादी का पिता है एवं प्रतिवादीया स0 2 ता 5 जो की वादीगण के बहन है के द्वारा भी अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर दिया [illegible] प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल [illegible] किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:49 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 8/10 की 6.0720है0 भूमि व खाता स0 50/49 की कुल 3.7950है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 121/121 की कुल 8.0960है0 भूमि में से 3383/40480 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त तीनों खातों की भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 17.12.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:49 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 975/2022

अनवान : –

1. सज्जन कुमार गोदारा पुत्र गंगाधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गंगाधर पुत्र गणपत जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सरोज पुत्री गंगाधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. राधा देवी पुत्री गंगाधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. समेष्ता पुत्री गंगाधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. शकुन्तला देवी पुत्री गंगाधर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 8/10 की 6.0720है0 भूमि व खाता स0 50/49 की कुल 3.7950है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 121/121 की कुल 8.0960है0 भूमि में से 3383/40480 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त तीनों खातों की भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 17/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:49 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर